राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS/मार्च/9020 दिनांक 27/03/25

समस्त
विभागाध्यक्ष।

विषयः– माह मार्च 2025 (देय माह अप्रैल) के संवेतन बिलों के संदर्भ में दिशा–निर्देश।

महोदय,

माह मार्च 2025 (देय माह अप्रैल 2025) के संवेतन बिल आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर तैयार किए जाकर समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के लॉगिन में दिनांक 25.03.2025 से प्रदर्शित होगें। इस पर निम्न कार्यवाही अपेक्षित है :–

1. संवेतन बिल वर्ष 2025–26 में उपलब्ध बजट मदों से मैप कर बनाये जायेगें। विभाग द्वारा नवीन/परिवर्तित मदों में कार्यालयवार पद आवंटन/अन्य बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट आवंटन इत्यादि की आवश्यकताओं की पूर्ति आई.एफ.एम.एस. पर किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा डीडीओं को संवेतन बिलों में डेटा उपलब्ध नहीं होगा।
2. सिस्टम जनरेटेड संवेतन बिलों में बजट मदों/मांग संख्या/कार्मिकों के वेतन इत्यादि की जांच आहरण आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर की जाकर OTP आधारित लॉगिन से दिनांक 01 अप्रैल 2025 को बिल सम्बद्ध कोष को फॉरवर्ड किए जा सकेगें।
3. कार्मिकों के स्थानान्तरण के प्रकरणों में आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर ज्वाइनिंग/रिलीविंग/Additional charge की प्रक्रियायें पूर्ण की जाये।
4. आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा का वेरीफिकेशन कार्यालयाध्यक्ष व आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित कर लिया जाये।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय

25/03/25

(देबाशीष पृष्टी)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax – 2742309, Tel- 0141-2743752

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS/मार्च / 9021-25 दिनांक 27/03/25

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी., वित्त भवन, जयपुर।
4. कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि माह मार्च 2025 देय माह अप्रैल 2025 के संवेतन बिल दिनांक 01.04.2025 को प्राथमिकता से पारित किया जाना सुनिश्चित करें।
5. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर सैल), वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(भूपेश माथुर)
संयुक्त शासन सचिव